

कांग्रेस वीबी-जी राम जी पर दुष्प्रचार कर रही है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई व गुणवत्तापूर्ण सम्पत्तियों का निर्माण हो सकेगा

जयपुर, 7 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई और गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका। इसमें जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। इनमें अस्थायी सड़कों, अधूरी जल संरचनाओं और बिना योजना के मिट्टी के कार्य करवाए जाते थे जिनकी कोई दीर्घकालिक उपयोगिता नहीं थी। वहीं, नए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 में इन सभी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर वीबी-जी राम जी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया।

कमियों को दूर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वतः मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को

बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है, ताकि पर्याप्त स्टाफ, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस ऐतिहासिक सुधार को लेकर भ्रम

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी के उद्देश्य से लाया गया था, पर, कांग्रेस सरकार के कमजोर प्रशासन व भ्रष्टाचार के कारण यह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका।**

फैलाने का प्रयास कर रही है जबकि यह सहकारी संघवाद का मॉडल है, जिसमें राज्यों की 40 प्रतिशत भागीदारी से जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रामक और दुष्प्रचारपूर्ण आरोपों को बेनकाब करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनहित में लाए गए वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 की खूबियां को जनता तक पहुंचाना होगा।

सचिन पायलट केरल में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त

नई दिल्ली, 07 जनवरी। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने तत्काल प्रभाव से असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों में संगठनात्मक समन्वय, चुनावी रणनीति की निगरानी, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और स्थानीय नेतृत्व के साथ तालमेल सुनिश्चित करना होगा। पार्टी नेतृत्व ने इन राज्यों में

चुनावी प्रबंधन बेहतर बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा है। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, असम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और बंधु तिव्के को वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नेता राज्य में चुनाव प्रचार और रणनीति की देखरेख करेंगे।

केरल में पार्टी ने युवा और अनुभवी नेताओं के मिश्रण पर भरोसा जताया है। यहां सचिन पायलट, के.जे. जॉर्ज, इमरान प्रतापगढ़ी और

वैनेज़ुएला से आ रहे रूसी टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा किया

मॉस्को/ वॉशिंगटन डीसी, 07 जनवरी। वैनेज़ुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था। इसे पकड़ने के लिए अमेरिका अटलांटिक महासागर में पिछले दो हफ्ते से ऑपरेशन चला रहा था। इस बीच यूएस सेना ने कहा कि उन्होंने रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। इसे बचाने के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी भेजी थी। अमेरिका ने जिस टैंकर को पकड़ा है उसका नाम बेला-1 है।

न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहां यूएस आर्मी ने इस टैंकर को जब्त किया वहां रूस की एक पनडुब्बी और वॉरशिप भी देखे गए। यूएस यूरोपीय कमान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण बेला 1 को जब्त कर लिया गया।

यह गृह सुरक्षा विभाग और अमेरिकी सैन्य कर्मियों का एक संयुक्त अभियान था। अमेरिका पिछले महीने से ही उस टैंकर का पीछा कर रहा था, जब उसने वैनेज़ुएला के आसपास अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की थी।

अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने पिछले महीने पहली बार इस टैंकर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जहाज पर चढ़ ने से इनकार कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तब से यह रूसी को ध्वज के तहत रजिस्टर्ड है।

महाराष्ट्र कांग्रेस-भाजपा गठबंधन बना और टूटा

- अंबरनाथ नगर परिषद में शिंदे की शिवसेना के खिलाफ भाजपा, कांग्रेस अजित पवार व एआईएमआईए ने गठबंधन किया**
- जाल खंबाता- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 7 जनवरी।** महाराष्ट्र में एक चौकाने वाला राजनीतिक तालमेल हुआ और खत्म भी हो गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दर किनारे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था।
- यह अप्रत्याशित गठबंधन तब हुआ है, जब भाजपा ने एक अन्य नगर निगम में एआईएमआईएम के साथ भी स्थानीय स्तर पर गठबंधन किया, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा के खिलाफ राजनीतिक अवसरवाद के आरोप लगे और तीव्र प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

जहां नेताओं का कहना है कि यह कदम रणनीतिक और सिर्फ स्थानीय निकायों तक सीमित है, वहीं ये नये गठबंधन राज्य में महत्वपूर्ण चुनावों से पहले विचारधारा, सुविधा और गठबंधन राजनीति पर फिर से बहस को हवा दे रहे हैं।

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस ने ऐसे किसी भी गठबंधन से इंकार किया और अंबरनाथ ब्लॉक प्रमुख प्रदीप पाटिल और उनके सभी चुने हुए पार्षदों को “पार्टी अनुशासन का उल्लंघन” करने के आरोप में निलंबित कर दिया।

वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने कहा कि यह गठबंधन अस्वीकार्य है और इसे रद्द कर दिया जाएगा। फडनवीस ने एक टीवी चैनल को दिये गये इंटरव्यू में कहा, “आगर किसी स्थानीय नेता ने यह निर्णय अपने स्तर पर लिया है, तो यह

- झारखंड ... (प्रथम पृष्ठ का शेष)**
- हाथी का अंतक बाबरिया गांव तक सीमित नहीं रहा। बड़ा पासीया गांव में भी हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं लोपाईसाई गांव में एक अन्य ग्रामीण को हाथी ने रौंदकर मार डाला। इन दोनों गांवों में मृतकों की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी।

- लेकिन कांग्रेस ने इस पर सख्त नाराज़गी जताई और अंबरनाथ के पार्टी अध्यक्ष प्रदीप पाटिल और 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया।**
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने भी अंबरनाथ भाजपा इकाई को कड़ी फटकार लगाई और ऐसे किसी भी गठबंधन को खत्म करने का आदेश दिया।**
- इस प्रकार राजनीति में अवसरवाद को खुल कर प्रदर्शित करने वाले गठबंधन ड्रामा का पटाक्षेप हुआ।**

अनुशासन के दृष्टिकोण से गलत है और कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा, “अगर ऐसा गठबंधन बनाया गया है, तो इसे रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है।”

भाजपा, कांग्रेस और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने मिलकर “अंबरनाथ विकास अघाडी” नामक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में 14 भाजपा पार्षद, 12 कांग्रेस पार्षद, एनसीपी (अजित पवार गुट) के चार सदस्य और एक स्वतंत्र पार्षद शामिल थे। नगरपालिका अध्यक्ष के शामिल हो जाने से गठबंधन की सदस्य संख्या बढ़कर 32 हो गई, जिससे भाजपा को नगर पालिका में आरामदायक बहुमत मिल गया।

इस गठबंधन के समर्थन से, भाजपा नेता तेजश्री करांजुले अंबरनाथ नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष (महापौर) चुन लिये गये। यह परिणाम खासतौर पर इसलिये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव परिणामों के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। फिर भी, उस संख्यात्मक लाभ के बावजूद, शिंदे गुट को चुनाव बाद के राजनीतिक दौंव-पेच को

- इस मंतव्य की पूर्ति के लिए अमेरिका वैनेज़ुएला में बड़ा कमजोर राष्ट्रपति चाहता है, जो उसके आदेशों के अनुसार चले। पर, अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा।**

अधिक मौतें और आम नागरिकों को नुकसान होना चाहिए था। कार्यवाहक वैनेज़ुएला राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश और जनता की रक्षा करते हुए मारे गए “बहादुर पुरुषों और महिलाओं” के लिए सात दिन के शोक की घोषणा की है। लोगों को अपने संबोधन में उन्होंने सख्त अमेरिका-विरोधी रुख अपनाया और कहा कि अब देश समझता है कि अपने लोगों की शांति और जान की रक्षा के लिए क्या करना पड़ता है।

दूसरी ओर, अमेरिका ने अपना लहजा और सख्त करते हुए वैनेज़ुएला से मांग की है कि वह रूसी और चीनी कंपनियों को देश से बाहर निकाले और लगभग 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका को सौंपे, ताकि उसे वैश्विक बाज़ारों में बेचा जा सके। इससे होने वाली आय का लाभ अमेरिका को होगा और बचा हुआ कुछ हिस्सा मूल देश को मिलेगा।

हालांकि, अमेरिका वैनेज़ुएला में एक बेहद अज्ञाकारी राष्ट्रपति भी चाहता है, जो नए अमेरिकी आकाओं के आदेशों पर चले।

‘गड़बड़ी…

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता। एसआई भर्ती में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे साबित हो की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही दूषित थी। यह भर्ती एक विस्तृत और बहुस्तरीय प्रक्रिया के तहत आयोजित हुई थी, जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और फिजिकल परीक्षा शामिल थीं। यदि कुछ अर्थर्धियों के मामले में अनियमितता सामने आई है तो उनके मामले में अलग से कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इससे बड़ी संख्या में ईमानदार इंसरे अर्थर्धियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, मामले में राज्य सरकार की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है। अदालत मामले में ग़ुस्वार को चयनित अर्थर्धियों के वकीलों की बहस सुनेगी।

ट्रंप की “ ग्रीनलैंड ” पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहना है कि प्रशासन वहां अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक, सभी रास्तों पर विचार कर रहा है। लेकिन सैन्य बल का खुला ज़िक्र डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लिए एक लाल रेखा पार करने जैसा है। इससे पहले जिसे लोग ट्रंप की अजीब सनक मानकर टाल रहे थे, वह अब एक गंभीर गठबंधन विवाद बन गया है।

डेनमार्क की प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री मेत्से फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड के खिलाफ किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई प्रभावी रूप से गारंटी को नष्ट कर देगी और इस सुरक्षा ढांचे को खत्म कर देगी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से द्वांसअटलांटिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा है। यूरोपीय नेताओं ने भी एकजुट होकर बयान जारी किए और कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है और इसलिए वह नाटो की सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं के तहत आता है। उन्होंने कहा कि बलपूर्वक उसकी स्थिति बदलने की कोई भी कोशिश अंतरराष्ट्रीय कानून और गठबंधन के नियमों का उल्लंघन होगी। भड़काऊ भाषा के बावजूद, ग्रीनलैंड के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की संभावना बेहद कम है।

पहली बात, ग्रीनलैंड नाटो का क्षेत्र है। गठबंधन के किसी सदस्य देश पर अमेरिका का हमला अप्रतपूर्व होगा और इससे नाटो अंदर से ही टूट जाएगा, जो अमेरिका की वैश्विक ताकत को बढ़ाने के बजाय कमजोर करेगा।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महासचिव जस्टिन रमेश ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के एकतरफा उल्लंघन पर चुप नहीं रह सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसी कार्रवाइयों को बिना चुनौती छोड़ा गया तो वह नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करेगी, जिस पर भारत खुद निर्भर करता है।

कई टिप्पणीकारों ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के समय भारत की प्रतिक्रिया से इसकी तुलना की, तब भी नई दिल्ली ने खुली निंदा से बचते हुए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया था। लेकिन इससे बड़ी संख्या में द्वितीग्राफ ने वेनेज़ुएला पर भारत के बयानों को देरी से आया और टालमटोल वाला बयान बताया और कहा कि एक बार फिर भारत बड़े देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों को तोड़े जाने पर नैतिक रुख लेने से बचता दिखा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने और तीखी टिप्पणी की। उन्होंने

कहा कि भारत की विदेश नीति की भाषा से नैतिक ताकत गायब होती जा रही है। वेनेज़ुएला के तेल के खिलाफ कार्रवाई को कोई भी बहाना सही नहीं ठहरा सकता। इतिहास इस सतर्क भाषा को माफ नहीं करेगा। उन्होंने आजादी के बाद के शुरुआती दशकों की भारत की मुखर कूटनीति से इसकी तुलना की। वाम दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। माकापा, भाकपा, भाकपा (माले) लिबरेशन, आरएसपी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने संयुक्त बयान में इसे “अमेरिकी आक्रामकता” और वेनेज़ुएला के चुने हुए नेतृत्व के अपहरण की संज्ञा दी। उन्होंने भारत सरकार से हमले का विरोध करने वाले देशों के साथ खड़े होने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बिना किसी हिचकिचाहट के रक्षा करने की मांग की।

यह हिचक क्यों है? विश्लेषकों का कहना है कि भारत का अमेरिका के साथ रणनीतिक जुड़ाव गहराता जा रहा है।

- ट्रंप के सोच से वाकिफ, विशेषज्ञों की राय है कि यह ट्रंप के काम करने का स्टाइल है कि वे ऐसी ऊल-जुलूल वक्तव्यबाजी केवल लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए करते हैं तथा सामरिक बहस का फोकस बदलते हैं। उनका मंतव्य युद्ध नहीं, बल्कि केवल, “मैसेज” देना होता है।**

दूसरा, अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसे किसी कदम की अनुमति नहीं देता। ग्रीनलैंड की विदेश और रक्षा नीति डेनमार्क के नियंत्रण में है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर साफ तौर पर बलपूर्वक किसी क्षेत्र पर कब्जे को प्रतिबंधित करता है। तीसरा, खुद ग्रीनलैंड इसका विरोध करता है। वहां की निर्वाचित सरकार ने अमेरिकी अधिग्रहण के विचार को खारिज कर दिया है और द्वीप की जनता भारी बहुमत से डेनमार्क के भीतर स्वशासन बनाए रखने के पक्ष में है, न कि अमेरिका में शामिल होने के।

चौथा, अमेरिका की घरेलू राजनीति भी सीमा तय करती है। कांग्रेस ने ग्रीनलैंड को लेकर नाटो सहयोगियों से टकराव में कोई खास इच्छा नहीं दिखाई है, और वरिष्ठ सांसदों ने सार्वजनिक रूप से सैन्य कार्रवाई के विचार को हल्के में लिया है। इससे साफ है कि यह बयानबाजी ज़मीनी कार्रवाई में बदलने वाली नहीं है।

इसलिए विश्लेषकों का मानना ​​है कि ट्रंप की भाषा युद्ध की तैयारी नहीं, रणनीतिक संकेत है, जो उनकी उस मोलभाव शैली के अनुरूप है, जिसमें वे ज्यादा से ज्यादा मार्ग रखकर दबाव बनाते हैं, प्रतिक्रियाएं परखते हैं

और बहस की दिशा बदलते हैं। व्यावहारिक रूप से, अमेरिका द्वारा क्षेत्रीय अधिग्रहण के बजाय सैन्य ठिकानों के अधिकार बढ़ाने, ढांचगत और खनिज निवेश करने या सुरक्षा सहयोग मजबूत करने की कहीं ज्यादा संभावना है।

डेनमार्क और ग्रीनलैंड में अधिकारी वॉशिंगटन से तुरंत बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तनाव कम किया जा सके और ग्रीनलैंड की स्थिति व आकांक्षाओं को लेकर, जैसा वे कहते हैं, अमेरिका को बुनियादी गलतफहमी दूर की जा सके। नॉर्डिक देशों ने भी यही रुख अपनाया है और कहा है कि साक्षा किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता पर ढंडात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश दिये हैं कि न केवल सभी तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिन्हें कि इस मामले की सुनवाई के पूर्व साक्षा किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता पर ढंडात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश दिये हैं कि न केवल सभी तथ्यों को अदालत में उपस्थित थे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सविता सिंगाने अदालत को बताया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि आवेदन करते समय अल्पना कटेजा ने अपने

–यादवेंद्र शर्मा– जयपुर, 7 जनवरी। राजस्थान विश्वविद्यालय कुलगुरु पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश समीर जैन ने पाया कि याचिकाकर्ता ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिन्हें कि इस मामले की सुनवाई के पूर्व साक्षा किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता पर ढंडात्मक कार्यवाही करते हुए आदेश दिये हैं कि न केवल सभी तथ्यों को अदालत में उपस्थित थे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सविता सिंगाने अदालत को बताया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि आवेदन करते समय अल्पना कटेजा ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए

- अदालत का कहना था कि याचिकाकर्ता ने कहीं अहम तथ्य रिट याचिका दायर करने से पूर्व उजागर नहीं किये जिससे प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने साफ मंशा से याचिका दायर नहीं की।**

वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी पैरवी के लिए पेश हुए थे। राज्यपाल की ओर से इस मामले में महाधिवक्ता पैरवी के लिए अदालत में उपस्थित थे।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सविता सिंगाने अदालत को बताया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 1 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आवेदन करते समय अल्पना कटेजा ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों

मामले दायर किये हैं, जिनमें 440 लोगों पर आरोप लगाए गये थे जिनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलगुरु, अन्य अध्यापक और सलेक्शन कमिटी के सदस्य शामिल थे।

मामले पर जिरह के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2021 में निचली अदालत ने एक आपराधिक मामले में दोषी पाया था। याचिकाकर्ता पर 2016 से एक आपराधिक मामला लम्बित है, और वह अन्य एफ.आई. आर. में आरोपी है।

कुलगुरु की ओर से यह भी बताया कि याचिकाकर्ता घुसपैठ करने और किसी की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक मामले में दोषी पाया गया था, वह उसकी अपील में हिरासत से बाहर आया हुआ है।

जिरह के दौरान कुलगुरु की ओर से अदालत को कहा गया कि ये तथ्य दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता ने सभी तथ्यों को छुपाते हुए, कुत्सित इरादों के साथ यह याचिका दायर की है, इसलिए उसे

खारिज कर देना चाहिए। कुलगुरु की ओर से यह भी बताया गया कि जिस आपराधिक मामले की जानकारी अपने आवेदन पत्र में नहीं बताने का आरोप लगाया गया है, वह बेबुनियाद है, क्योंकि उक्त मामले में निचली अदालत ने मामले को खारिज कर दिया था। जिरह के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने संशोधन करने व दोबारा मामले की सुनवाई करने के लिए आवेदन दायर किया था, परन्तु इस मामले में कुलगुरु को अदालत से अभी तक नोटिफ़ जारी नहीं किये गये हैं, जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है। कुलगुरु की ओर से कहा जा कानूनी रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किसी भी आपराधिक मामले की जानकारी है, जब तक अदालत उन्हें जवाब-तलब नहीं करे। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद, याचिकाकर्ता पर 5 लाख रु. का जुर्माना लगाने के आदेश दिए।

¹राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वलन प्रेस, एच-150 , रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. **RAJHIN/2009/28296** जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलाशथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवाय, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आडवा, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रत भवन, युंणी नाका के पास, अजमेरा। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोरा। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600